



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2010/पौष 22, 1931

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2010/PAUSA 22, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

सं. बी-12015/33(34)/समन्वयन/2009.—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 12 की उप-धारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सदस्य सचिव से भिन्न) की भर्ती की पद्धति, सेवा के निबन्धन एवं शर्तों, विनियम, 1995" को, जहां तक उनका संबंध इन नियमों के परिशिष्ट-I में विनिर्दिष्ट पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने के लिए लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह "क" पद विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये विनियम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सभी वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह "क" के पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

- (ग) "अध्यक्ष" से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;  
 (घ) "एम.ओ.ई.एफ" से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अभिप्रेत है ।

4. स्व-स्थाने प्रोन्नति हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के लिए पदनाम, वेतन-बैंड और ग्रेड वेतन तथा न्यूनतम पदावास अवधि:

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली में सम्मिलित सभी वैज्ञानिक और तकनीकी समूह "क" के पदों के लिए आगामी उच्चतर ग्रेड में स्व-स्थाने प्रोन्नति के लिए पदनाम, वेतन बैंड व ग्रेड वेतन तथा कार्य निष्पादन से जुड़ी न्यूनतम पदावास अवधि निम्नानुसार होगी :

पद का नाम	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	निष्पादन से संबद्ध न्यूनतम पदावास अवधि
1	2	3
वैज्ञानिक "ख"	पी.बी.-3 (15600-39100 रु.) + 5400 रु.	3 वर्ष
वैज्ञानिक "ग"	पी.बी.-3 (15600-39100 रु.) + 6600 रु.	4 वर्ष
वैज्ञानिक "घ"	पी.बी.-3 (15600-39100 रु.) + 7600 रु.	4 वर्ष
वैज्ञानिक "ड."	पी.बी.-4 (37400-67000 रु.) + 8700 रु.	5 वर्ष
वैज्ञानिक "च"	पी.बी.-4 (37400-67000 रु.) + 8900 रु.	-

5. भर्ती सन्नियम:- वैज्ञानिक और तकनीकी समूह "क" पदों के लिए भर्ती सन्नियम नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे:-

- (1) सभी वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए बुनियादी शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव उपाबन्ध-II में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।
- (2) सभी वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए अनुभव उपाबन्ध-II में विनिर्दिष्ट वह अनुभव होगा जो बुनियादी शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने के पश्चात अभिप्राप्त किया गया है ।
- (3) (i) आमेलन सीधी भर्ती, प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (अंशकालिक सहित) या आमेलन द्वारा की जायेगी ।

- (ii) प्रत्येक रिक्त पद के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जायेगी ।
- (iii) जब कभी भी पदों के सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (अंशकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा भरना होगा, तो उन पदों को समाचार-पत्र और वेबसाइट पर विज्ञापित किया जायेगा ।

4. सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी, जो प्रत्येक अवसर पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिए दो बार और बढ़ाई जा सकेगी है ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा और अनुभव : प्रत्येक श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा और अनुभव निम्न प्रकार होगा:-

क्र.सं.	पद का नाम	अधिकतम आयु-सीमा से अधिक न हो
1	वैज्ञानिक "ख"	35 वर्ष
2	वैज्ञानिक "ग"	40 वर्ष
3	वैज्ञानिक "घ"	45 वर्ष
4	वैज्ञानिक "ङ."	50 वर्ष
5	वैज्ञानिक "च"	50 वर्ष

टिप्पण: (1) बोर्ड में पहले से कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सीधी भर्ती के लिए उपर्युक्त पदों में से किसी के लिए कोई अधिकतम आयु-सीमा नहीं होगी।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारारिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि के लिए ऊपरी आयु सीमा भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी। अत्यधिक अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(3) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नीयत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप) अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

## 7. पदासीन किया जाना :

- (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियमित आधार पर उपाबन्ध-1 के स्तंभ I में विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और तकनीकी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से पुनः पदाभिहित पदों पर पदासीन किया जायेगा और उन्हें पुनः पदाभिहित पद पर नियमित आधार पर धारित पद पर उनके प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से नियुक्त किया गया समझा जायेगा ।
- (2) इस प्रकार समावेशित व पुनः पदाभिहित किये गये सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन देय रहेगा, जिसमें वे इन विनियमों के लागू होने की तारीख को पात्र हैं और वे विनियम 4 में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन तथा वेतन बैंड सहित आगामी उच्चतर ग्रेड के लिए पुनर्विलोकन के लिए पात्र होंगे ।
- (3) सीधी भर्ती के लिए लागू बुनियादी शैक्षिक अर्हताएं तथा आयु सीमा पुनः पदाभिहित पदों में पदासीन के प्रयोजन के लिए आरम्भिक गठन की तारीख को नियमित आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पहले से कार्यरत अधिकारियों के मामले में छूट जारी रहेगी ।
- (4) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन प्रोन्नति के लिए केवल वे ही अधिकारी स्व-स्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे जिनके पास बुनियादी शैक्षिक अर्हताएं अर्थात् कम से कम प्राकृतिक विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि होगी ।

## 8. भर्ती, पुनर्विलोकन एवं प्रोन्नति :

- (1) बोर्ड की भर्ती और पुनर्विलोकन समिति : भर्ती और प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार करने के लिए बोर्ड की समुचित भर्ती और पुनर्विलोकन समिति निम्नानुसार गठित की जाएंगी, अर्थात् :

पद	बोर्ड की भर्ती और पुनर्विलोकन समिति की संरचना	
वैज्ञानिक "च" और वैज्ञानिक "ड."	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या उनका नाम निर्देशिती जो चयन किए जाने वाले पद (पदों) के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर हो।	- अध्यक्ष
	बोर्ड का एक सदस्य (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	- सदस्य
	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य
	दो विशेषज्ञ (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	- सदस्य
	संयुक्त सचिव, (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध)	- सदस्य
वैज्ञानिक "घ", वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "ख"	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- अध्यक्ष
	बोर्ड का एक सदस्य (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	- सदस्य
	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध) या उनका नाम निर्देशिती	- सदस्य
	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ	- सदस्य
	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य

टिप्पण: (1) समिति के सदस्य, कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे, जिन पर व्यक्तियों के चयन या प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है।

(2) समिति, अभ्यर्थियों के पूर्व निष्पादन के मूल्यांकन तथा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

- (3) अध्यक्ष से भिन्न समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होंगी।
- (4) समिति की सिफारिशें, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा सिफारिशों की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होंगी।
- (5) अध्यक्ष सहित, समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य, बोर्ड से बाहर के होंगे।
- (2) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के माध्यम से पुनर्विलोकन तथा प्रोन्नति : (i) बोर्ड की पुनर्विलोकन समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए पुनर्विलोकन एक वर्ष में दो बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जायेगा; (ii) उन व्यक्तियों के बारे में जो, यथास्थिति, पहली जनवरी या पहली जुलाई के तीन मास पूर्व या तीन मास पश्चात् की अवधि के दौरान किसी पद पर विनियम 4 के अनुसार निष्पादन से संबद्ध न्यूनतम पदावास अवधि पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं या कर लेंगे, उस तारीख को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पुनर्विलोकन के लिए विचार किया जाएगा; (iii) उन व्यक्तियों के लिए जो प्रोन्नति के पात्र पाये जाते हैं, उनकी प्रोन्नति की तारीख नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से प्रभावी होगी।
- (3) किसी अधिकारी के प्रशिक्षण या अध्ययन अवकाश या भारत अथवा विदेश में प्रतिनियुक्ति पर होने की दशा में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में स्व-स्थाने प्रोन्नति के लिए उनके न्यूनतम पदावास अवधि पूरी होने की तारीख से विचार किया जायेगा, अर्थात् चाहे वे प्रशिक्षण पर न रहे हों :
- (क) यदि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को ड्यूटी पर माना जाता है और
- (ख) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में स्व-स्थाने प्रोन्नति के लिए उन्हें अनुमति दी गई हो।
- (4) प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा या छुट्टी इत्यादि की अवधि को न्यूनतम पदावास अवधि के रूप में मानना :
- (i) अन्य वैज्ञानिक पद पर विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि, जो दूसरी दिशा देने में वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक की सहायता करता है तथा जिसे अब वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों पर प्रोन्नति के लिए आवश्यक क्षेत्र अनुभव के रूप में अनिवार्य किया गया है, इसके साथ-साथ शैक्षिक कौशलता बढ़ाने के लिए, लिए गये अध्ययन अवकाश या किसी अन्य अवकाश की अवधि अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए निम्नतम ग्रेड में अपेक्षित

आवश्यक रूप से डालने के लिए न्यूनतम पदावास अवधि में गिना जायेगा । तथापि एक गैर वैज्ञानिक पद के लिए प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर व्यतीत की गई अवधि, न्यूनतम पदावास अवधि में नहीं गिनी जायेगी ।

- (ii) छुट्टी नियमों के अनुसार स्वीकृत प्रसूति अवकाश, सुनम्य अनुपूरक प्रणाली, के अधीन प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पदावास अवधि की गिनती करते समय ड्यूटी माना जायेगा ।
- (iii) छुट्टी नियमों के अनुसार प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में स्वीकृत अधिकतम एक वर्ष की अवधि की छुट्टी, प्रसूति अवकाश के समतुल्य मानी जा सकेगी और परिणामस्वरूप यह अवधि, न्यूनतम पदावास अवधि की गिनती करते समय ध्यान में रखी जायेगी ।
- (iv) छुट्टी नियमों के अनुसार एक बार में अधिकतम 180 दिन (छुट्टी नियमों के अधीन उच्चतम सीमा) की अवधि के लिए स्वीकृत अर्जित अवकाश, न्यूनतम पदावास अवधि की गणना करते समय ध्यान में रखा जायेगा ।
- (v) शेष किस्म की छुट्टियां जैसे असाधारण छुट्टी, चिकित्सा आधार पर ली गई छुट्टियां इत्यादि जो वैयक्तिक आधार पर ली गई हैं, न्यूनतम पदावास अवधि में नहीं गिनी जाएंगी ।

(5) भूतलक्षी आधार कोई प्रोन्नति नहीं की जायेगी ।

(6) ऐसा व्यक्ति, जो वैज्ञानिक और तकनीकी पद धारण कर रहा है, ऐसे पुनर्विलोकन के पश्चात प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह आगामी पुनर्विलोकन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात ही ऐसे पुनर्विलोकन के लिए पात्र होगा ।

9. सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन प्रोन्नति के लिए मापदण्ड :

- (1) (i) प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु पहले सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में ग्रेडिंग के आधार पर जांच की जायेगी, (ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का 10- बिन्दु पैमाने पर मूल्यांकन किया जायेगा जिसमें 10 अंक "उत्कृष्ट" के लिए, 8 अंक "बहुत अच्छा", 6 अंक "अच्छा", 4 अंक "औसत" और "खराब" के लिए 0 अंकित किया जायेगा तथा केवल उन्हीं अधिकारियों की जांच की जाएगी, जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये विवरणानुसार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित न्यूनतम पदावास अवधि पूरी करते हैं :-

## तालिका

	पात्रता के लिए ग्रेड में अपेक्षित वर्ष की संख्या					
	3	4	5	6	7	8
	पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशतता					
वैज्ञानिक "ख" से वैज्ञानिक "ग"	85%	80%	70%	65%	60%	--
वैज्ञानिक "ग" से वैज्ञानिक "घ"	--	85%	80%	75%	70%	60%
वैज्ञानिक "घ" से वैज्ञानिक "ङ."	--	85%	80%	75%	70%	60%
वैज्ञानिक "ङ." से वैज्ञानिक "च"	--	--	85%	80%	75%	70%

(2) (i) सभी अधिकारी जिनकी जांच परख की गई है वे ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे;

(ii) साक्षात्कार में निष्पादन को भी एक 10 बिन्दू पैमाने पर उसी प्रकार से ग्रेड दिया जायेगा और प्रोन्नति के लिए पात्रता उन्ही सन्नियमों पर आधारित होगी, जो उपर्युक्त तालिका में दी गई है।

(3) सभी उत्कृष्ट ग्रेडिंग युक्त विशिष्ट सराहनीय अभ्यर्थियों को पदावास अवधि में छूट दी जायेगी, यह छूट किसी एक अवसर पर एक वर्ष से ज्यादा नहीं होगी और ऐसी छूट उनके सम्पूर्ण कैरियर में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित रहेगी।

10. पुनर्विलोकन के लिए सेवा की संगणना: (1) किसी पद में की गई सभी नियमित सेवाओं की गणना अगली उच्चतर श्रेणी में पुनर्विलोकन और प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए की जायेगी। (2) प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए गए और बाद में आमेलित किए गए वैज्ञानिक और इंजीनियर की दशा में केवल आमेलन के पश्चात उसके द्वारा की गई सेवा अगली श्रेणी में पुनर्विलोकन और प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए गणना में ली जाएगी। (3) वैज्ञानिक "च" की प्रोन्नति के लिए न्यूनतम दो वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव आवश्यक है।

11. प्रोन्नति के कारण होने वाली रिक्तियों या पद त्याग, अधिवर्षिता आदि के कारण किसी वैज्ञानिक और इंजीनियर द्वारा पद की रिक्ति का भरा जाना।

(1) (i) पुनर्विलोकन के पश्चात प्रोन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियर पद पर बना रहेगा और फलस्वरूप कोई रिक्ति नहीं होगी। (ii) किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद केवल उसकी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बरखास्तगी या मृत्यु इत्यादि पर ही रिक्त होगा।



(2) जहां एक रिक्त किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर के अधिवर्षिता, पद-त्याग, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, बरखास्तगी अथवा मृत्यु इत्यादि की वजह से रिक्त होता है, और वह पद जो रिक्त हो जाता है, उसी स्तर पर या किसी निम्नतर स्तर पर, जैसा अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रत्येक अवसर पर रिक्तियां वैज्ञानिक "ख" के स्तर से भरी जायेंगी तथा वे 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>% से कम न हों।

12. प्रोन्नति के अवसर : कोई वैज्ञानिक या इंजीनियर कालिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिक "च" के स्तर तक प्रोन्नति का पात्र होगा।

13. बाह्य अभिकरणों से प्रतिनियुक्ति : जब अभ्यर्थी की सेवाएं, बोर्ड के बाहर से प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त की गई हैं, वहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि आरम्भ में तीन वर्ष की होगी जिसे सचिव के अनुमोदन से चौथे वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और पांचवें वर्ष के लिए विस्तार प्रभारी, मंत्री की स्वीकृति से किया जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड में किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर को किसी पद में प्रतिनियुक्ति पर पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखा जाएगा।

14. शिथिल करने की शक्ति : जहां बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से परामर्श करके, इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

15. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

16. सेवा फायदे : केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्स्थानी वेतन बैंड और ग्रेड वेतनधारी व्यक्तियों को तत्समय लागू नियम और आदेश, बोर्ड कर्मचारियों के भत्ता, छुट्टी, पदग्रहण काल, वेतन भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता की आयु सेवा-निवृत्ति फायदों, चिकित्सा-संबंधी सुविधाओं और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत, सेवा की शर्तें विनियमित करेंगे।

## वैज्ञानिक पद

**प्रणाली के प्रारम्भ होने के समय पदों की कुल संख्या : 168**

विद्यमान पदाभिधान	नया पदाभिधान	पदों की संख्या
वैज्ञानिक "ख"/सहायक पर्यावरण अभियंता/ प्रलेखन अधिकारी	वैज्ञानिक "ख"	76
वैज्ञानिक "ग"/पर्यावरण अभियंता	वैज्ञानिक "ग"	60
वरिष्ठ वैज्ञानिक/वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	वैज्ञानिक "घ"	22
अपर निदेशक	वैज्ञानिक "ड."	08
निदेशक	वैज्ञानिक "च"	02

टिप्पण: पदों की बिना किसी निर्बंधन के पूर्ण अन्तरपरिवर्तनीयता होगी सिवाय इसके कि वैज्ञानिक "ख", वैज्ञानिक "ग", वैज्ञानिक "घ", वैज्ञानिक "ड." और वैज्ञानिक "च" के पदों की कुल संख्या एक साथ करने पर कुल स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

### वैज्ञानिक/तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए सन्नियम

अर्हता /पद→वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	वैज्ञानिक "ख" पी.बी.-3; (15600- 39100/-रु.) ग्रेड वेतन 5400/-रु.	वैज्ञानिक "ग" पी.बी.-3; (15600- 39100/-रु.) ग्रेड वेतन 6600/-रु.	वैज्ञानिक "घ" पी.बी.-3; (15600- 39100/-रु.) ग्रेड वेतन 7600/-रु.	वैज्ञानिक "ड." पी.बी.-4; (37400- 67000/-रु.) ग्रेड वेतन 8700/-रु.	वैज्ञानिक "च" पी.बी.-4; (37400- 67000/-रु.) ग्रेड वेतन 8900/-रु.
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि	प्रवेश स्तर और भर्ती की पद्धति विनियम-5 के अधीन दर्शाए गये अनुसार	+3	+7	+11	+16

वरीयता: अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि वरीयता: नेट उत्तीर्ण/पी.एच.डी.					
--	--	--	--	--	--

## टिप्पणः

1. बुनियादी शैक्षिक अर्हताओं के अतिरिक्त प्रत्येक पद के लिए वर्षों का अतिरिक्त अनुभव अपेक्षित है।
2. बोर्ड की भर्ती समिति द्वारा अभिलिखित सुपात्र होने पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को उस वेतनमान के जिस पर उनकी नियुक्ति की गई है न्यूनतम से उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है। तथापि ऐसा प्रारम्भिक वेतनमान के न्यूनतम की पाँच अग्रिम वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त/कानूनी निकायों के अधिकारियों, जो यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी समतुल्य पद धारक हो या तत्काल पूर्व ग्रेड में न्यूनतम पाँच वर्ष से कार्यरत हो। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख को 56 वर्ष होनी चाहिए। फीडर संवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति के सीधे अनुक्रम में हैं, पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. शैक्षिक अर्हताओं के लिए विशिष्ट विचार, अपेक्षाओं के आधार पर पद को भरते समय अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
5. विद्या के किसी विशिष्ट क्षेत्र में सही अनुभव, सुसंगत पदों के लिए विज्ञापन में उपदर्शित रूप में होगा।

6. वैज्ञानिक "ग" और इससे ऊपर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए बुनियादी शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वे ही होंगे जो सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन बोर्ड के अधिकारियों को इन श्रेणियों से प्रोन्नति के लिए अधिकारियों को लागू हैं ।

संत प्रसाद गौतम, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./184/09]

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

(Central Pollution Control Board)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2010

**No.B-12015/33(34)/Co-Ord./2009.**—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of Section 12 of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and in super-session of the "Central Pollution Control Board (Method of recruitment, terms and conditions of service of Officers and Employees other than Member Secretary) Regulations, 1995", in so far as they relate to the posts specified in Appendix – I to the regulations, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Pollution Control Board, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following regulations, namely:-

**1. Short-title and Commencement:**

- (1) These regulations may be called "the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009".
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application:-** These regulations shall apply to all the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board.

**3. Definitions:**

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

- (b) "Board" means the Central Pollution Control Board, established under section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (c) "Chairman" means Chairman of the Central Pollution Control Board;
- (d) "MoEF" means the Ministry of Environment and Forests.

**4. Designations, Pay Band and Grade Pay and minimum residency period for the scientific and technical posts for in-situ promotion:**

The designations, Pay Band and Grade Pay and minimum residency period linked to performance for in-situ promotion to next higher grade, for all the scientific and technical Group 'A' posts covered under Flexible Complementing Scheme in Central Pollution Control Board shall be as follows, namely:-

Designation	Pay Band + Grade Pay	Minimum Residency period linked to performance
(1)	(2)	(3)
Scientist B	PB-3 (Rs.15600 –39100) + 5400	3 years
Scientist C	PB-3 (Rs.15600 –39100) + 6600	4 years
Scientist D	PB-3 (Rs.15600 –39100) + 7600	4 years
Scientist E	PB-4 (Rs.37400 –67000) + 8700	5 years
Scientist F	PB-4 (Rs.37400 –67000) + 8900	--

**5. Recruitment norms:- The recruitment norms to the scientific and technical Group 'A' posts shall be as specified below:-**

- (1) The basic educational qualifications and experience for all the scientific and technical posts shall be as specified in Appendix - II.
- (2) The experience specified in Appendix – II for all the scientific and technical posts shall be the experience acquired after obtaining the basic educational qualifications.
- (3) (i) Recruitment shall be by direct recruitment, promotion or deputation (including short-term contract) or absorption;

- (ii) the particular method of recruitment for each vacancy shall be decided by the Chairman, Central Pollution Control Board.
- (iii) whenever the posts are to be filled up through direct recruitment and deputation (including short-term contract) or absorption, the posts shall be advertised in the newspapers and website.
- (4) Probation for direct recruits shall be for a period of one year, extendable twice by further period of maximum of six months on each occasion.

6. **Age limit and experience for direct recruitment:** The age limit and experience for direct recruitment in each category of posts shall be as under:

Serial Number	Name of the Post	Upper age limit not exceeding
1.	Scientist B	35 Years
2.	Scientist C	40 Years
3.	Scientist D	45 Years
4.	Scientist E	50 Years
5.	Scientist F	50 Years

- Note:** (1) There shall be no upper age limit in respect of officers already working in the Board for direct recruitment to any of the above posts.
- (2) The upper age limit for SC/ST/OBC/PH/ex-Serviceman etc. shall be as per the Government of India rules. Age relaxation to the highly experienced candidates shall be considered by the Competent Authority on the merit of the case.
- (3) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

**7. Induction:**

- (1) Persons holding Scientific, Engineering and Technical Posts specified in Column 1 of Appendix – I on a regular basis in the Central Pollution Control Board on the date of commencement of these regulations shall be inducted to the re-designated posts with immediate effect and shall be deemed to have been appointed to the re-designated post from the date of their initial appointment to the post they are holding on regular basis.
- (2) All Scientists and Engineers so inducted and re-designated shall continue to carry the Pay Band and Grade Pay to which they are eligible on the date of commencement of these regulations and shall be eligible for review for the next higher grade, with the pay band and grade pay as specified in regulation 4.
- (3) The basic educational qualifications and age limits as applicable to direct recruits shall stand relaxed in case of officers already working in the Central Pollution Control Board on a regular basis on the date of initial constitution for the purpose of induction to the re-designated posts.
- (4) For promotion under Flexible Complementing Scheme, only officers possessing the essential educational qualifications of at least a Master's Degree in Natural Science or Agricultural Science or a Bachelor's Degree in Engineering or Technology, shall be eligible for in-situ promotion.

**8. Recruitment, Review and Promotion:-**

- (1) **Board's Recruitment and Review Committee:** There shall be constituted an Appropriate Board's Recruitment and Review Committee for considering the eligibility of candidates for recruitment and for promotion, as follows; namely :-

Post	Composition of Board's Recruitment and Review Committee
Scientist F and Scientist E	Secretary , MoEF or his nominee who shall be atleast two levels above the level of the post(s) for which selection is to be made - Chairman
	One Board Member (to be nominated by the Secretary, MoEF) - Member

	Chairman, Central Pollution Control Board	- Member
	Two experts (to be nominated by the Secretary, MoEF)	- Members
	Joint Secretary, MoEF (dealing with CPCB matters)	- Member
Scientist D, Scientist C and Scientist B	Chairman, Central Pollution Control Board	- Chairman
	One Board Member (to be nominated by the Chairman, CPCB)	- Member
	Joint Secretary (dealing with CPCB matters in the MoEF) or his nominee	- Member
	Two experts to be nominated by the Chairman	- Members
	Member Secretary, CPCB	- Member

- Note:**
1. The members of the Committee shall be at least one level above the level for which the persons are to be considered for selection and promotion.
  2. The Committee shall make their recommendations on the basis of interview held and the evaluation of the past performance of the candidates.
  3. The absence of a member of the Committee other than Chairman shall not invalidate the proceedings of the Committee.
  4. The recommendations of the Committee shall be effective from the date on which the appointing authority approves the recommendations.
  5. Atleast 50% of the total members of the Committee, including Chairman, shall be from outside the Board.
- (2) Review and promotion through Flexible Complementing Scheme :-
- (i) review for promotion by the Board's Review Committee shall be done twice a year that is before the 1<sup>st</sup> January and the 1<sup>st</sup> July of every year;
  - (ii) those who have completed or will complete the minimum residency period linked to the performance as per regulation 4, in a post during the period of three months before or three months after the 1<sup>st</sup> January or the



1<sup>st</sup> July, as the case may be, shall be considered as on that date for review for promotion to the next higher grade; (iii) the effective date of promotion for those found eligible for promotion shall be the date on which the appointing or competent authority approves the same.

- (3) In case of Officers undergoing training or study leave or deputation in India or abroad, they shall be considered for in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme to the next higher grade with effect from the date they would have completed the minimum residency period had they not proceeded on training subject to the following conditions; namely:-
- (a) the period of such training is treated as on duty and
  - (b) they would have been approved for in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme to the next higher grade.
- (4) Treatment of period of deputation or foreign service or leave etc. towards the minimum residency period :-
- (i) the period spent on deputation or foreign service to another scientific post, which helps a Scientist to acquire scientific experience in a diverse set up and the necessary field experience now made mandatory for promotion to Senior Scientific posts, as well as the period of study leave or any other leave taken for improving the academic accomplishments, shall count towards the minimum residency period necessarily required to be put in the lower grade for promotion to the next higher grade. However the period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post shall not count towards the minimum residency period;
  - (ii) maternity leave sanctioned as per leave rules shall be treated as duty while counting the minimum residency period for promotion under Flexible Complementing Scheme;
  - (iii) leave of a maximum period of one year sanctioned in continuation of maternity leave as per leave rules may also be treated on par with maternity leave and this period may consequently be taken into account while counting the minimum residency period;
  - (iv) earned leave sanctioned for a period not exceeding 180 days at a time (the ceiling under Leave Rules) as per leave rules shall also be taken into account while computing minimum residency period; and

- (v) the remaining kinds of leave such as extra ordinary leave, leave on medical grounds, etc. availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.
- (5) The promotion shall not be given on retrospective basis.
- (6) A person holding a scientific and technical post not found fit for promotion after any review shall become eligible for the next review only after a lapse of one year from the date of such review.

**9. Criteria for considering promotions under Flexible Complementing Scheme:-**

- (1) (i) All officers shall be first screened on the basis of grading in the Annual Confidential Reports (ACRs) for consideration for promotion; (ii) the ACRs should be assessed on a 10 - point scale giving 10 marks for "Outstanding", 8 marks for "Very Good", 6 marks for "Good", 4 marks for "Average" and 0 for "Poor" and only those officers who satisfy the minimum residency period linked to their performance as indicated in the table below be screened in:-

**TABLE**

	Number of years required in the grade for eligibility					
	3	4	5	6	7	8
	Minimum percentage for eligibility					
Scientist B to Scientist C	85%	80%	70%	65%	60%	--
Scientist C to Scientist D	--	85%	80%	75%	70%	60%
Scientist D to Scientist E	--	85%	80%	75%	70%	60%
Scientist E to Scientist F	--	--	85%	80%	75%	70%

- (2) (i) All officers who are screened in shall be called for an interview; (ii) the performance in the interview will also be graded similarly on a 10-Point Scale and the eligibility for promotion will be based on the same norms as in the above Table.
- (3) Exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more

than one year on any single occasion and such a relaxation shall be limited to a maximum of two occasions in their entire career.

- 10. Computation of service for review:-** (1) All regular services rendered in a post shall be counted for the purpose of review and promotion to the next higher grade. (2) In case of a scientist and engineer recruited by deputation and later absorbed, the service rendered by him only after absorption shall count for the purpose of review and promotion to the next grade. (3) For promotion to Scientist 'F', field experience of minimum two years is required.
- 11. Filling up of vacancies arising due to promotions or vacation of the post by a Scientist and Engineer due to resignation, superannuation etc.**
- (1) (i) A scientist and engineer promoted after a review shall carry the post with him or her and consequently no vacancy is caused; (ii) the post carried by a person will fall vacant only on his or her superannuation, resignation, voluntary retirement, dismissal or death etc.
- (2) Where a vacancy is caused due to a scientist and engineer vacating the post by superannuation, resignation, voluntary retirement, dismissal or death etc., and the post that falls vacant shall be filled up at the same level or at any lower level to it, as may be decided by the Chairman, Central Pollution Control Board, **subject to the condition that not less than 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>% of the vacancies on each occasion shall be filled up at the level of Scientist "B"**.
- 12. Avenues for promotion:-** A scientist and engineer will be eligible for promotion up to the level of Scientist F through the process of periodical reviews.
- 13. Deputation from outside agencies:-** Where the services of a candidate have been obtained on deputation from outside the Board, the period of such deputation will be initially for three years which may be extended with the approval of the Secretary, Ministry of Environment and Forests, for the fourth year and with the approval of the Minister Incharge for the fifth year :
- Provided that no scientist and engineer shall be held on deputation in a post in the Board for a period exceeding five years.
- 14. Power to relax:-** Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Ministry of Environment and

Forests, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

- 15. Saving:-** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Caste, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 16. Service Benefits:-** The regulations and orders for the time being in force and amended from time to time for officer, holding posts of corresponding Pay Band and Grade Pay under the Central Government shall regulate the conditions of service and benefits in respect of allowance, leave, joining time, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service and benefits of the employees of the Board.

#### Appendix – I

### SCIENTIFIC POSTS

**TOTAL NUMBER OF POSTS AT THE TIME OF INDUCTION OF THE SCHEME: 168**

EXISTING DESIGNATION	NEW DESIGNATION	NUMBER OF POSTS
SCIENTIST "B"/ASSISTANT ENVIRONMENTAL ENGINEER / DOCUMENTATION OFFICER	SCIENTIST "B"	76
SCIENTIST "C"/ ENVIRONMENTAL ENGINEER	SCIENTIST "C"	60
SENIOR SCIENTIST/SENIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER	SCIENTIST "D"	22
ADDITIONAL DIRECTOR	SCIENTIST "E"	08
DIRECTOR	SCIENTIST "F"	02

**Note:** There will be complete interchangeability of posts without any restriction except that the total number of posts of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E' and Scientist 'F' put together should not exceed the total sanctioned strength.

### Appendix - II

### NORMS FOR RECRUITMENT TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL POSTS

Qualification ↓ /posts→ Pay Band & Grade Pay	Scientist 'B' PB-3; ( Rs.15600- 39100/-) Grade Pay Rs.5400/-	Scientist 'C' PB-3; (Rs.15600 -39100/-) Grade Pay Rs. 6600/-	Scientist 'D' PB-3; (Rs. 15600- 39100/-) Grade Pay Rs. 7600/-	Scientist 'E' PB-4; (Rs. 37400- 67000/-) Grade Pay Rs. 8700/-	Scientist F' PB-4; (Rs. 37400- 67000/-) Grade Pay Rs. 8900/-
<b>Essential:</b> Bachelor's Degree in Engineering/ Technology from a recognized University or Institution  <b>Preferential:</b> Master's Degree in Engineering/ Technology  <b>OR</b>  <b>Essential:</b> Master's Degree in Natural/ Agricultural Sciences from a recognized University or Institution  <b>Preferential:</b> NET Qualified / Ph.D.	Entry Level & Mode of recruitment as mentioned under Regulation - 5	+3	+7	+11	+16

#### Notes:

- 1 Years of additional experience for each post required in addition to the basic educational qualifications.
- 2 Direct recruits may be given, in deserving cases, if so recorded by the Board's Recruitment Committee, higher initial start than the minimum of the scale, to which

they are appointed. However, such an initial start shall not exceed five advance increments over the minimum of the scale.

- 3 **For appointment on deputation:** Officers of the Central /State Government/Union Territories/Autonomous/Statutory Bodies shall be considered for appointment on deputation having educational qualification and experience in the field of pollution control, as specified above. The candidate should hold an analogous post or should have been working for minimum five years in the immediate previous lower grade. Maximum age limit for appointment by deputation shall be upto 56 years as on the closing date of receipt of application. The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be considered for appointment on deputation.
- 4 Specific disciplines for educational qualifications shall be decided by the Chairman at the time of filling up of a post based on the requirements.
- 5 The exact experience in a particular field of discipline shall be indicated in the advertisement for the relevant posts.
- 6 For direct recruitment for the post of Scientist C and above, the basic educational qualifications and the experience shall be the same as applicable to the officers of the Board for promotion to these grades under the scheme of Flexible Complementing.

SANT PRASAD GAUTAM, Chairman  
[ADVT-III/4/Exty./184/09]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 20, 2011/आश्विन 28, 1933

No. 207]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2011/ASVINA 28, 1933

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2011

सं. बी-12015/33(34)/समन्वयन/2009.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 12 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'क' वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद विनियम, 2009 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' पद (संशोधन) विनियम, 2011" कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. 'भर्ती, पुनर्विलोकन एवं पदोन्नति' से संबंधित विनियम-8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रौढस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भर्ती, पुनर्विलोकन एवं पदोन्नति" :—

(1) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अंतर्गत दो स्तरों पर मूल्यांकन किया जायेगा। स्क्रीनिंग के प्रयोजन से पहले स्तर का मूल्यांकन आंतरिक स्तर पर होगा तथा दूसरे स्तर पर बाह्य सदस्यों की अधिकता होगी।

(2) पहले स्तर की स्क्रीनिंग हेतु बोर्ड की आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी (आंतरिक): वार्षिक कार्य रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अंतर्गत पदों के उन्नयन के लिए मापदण्ड हेतु निम्नानुसार बोर्ड की एक समुचित आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी, अर्थात् :—

पद	बोर्ड की आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का संयोजन	
(1)	(2)	
वैज्ञानिक "च" एवं वैज्ञानिक "ड"	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या उनका नामनिर्देशिती जो चयन किए जाने वाले पद (पदों) के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर हो। अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—अध्यक्ष —सदस्य

(1)	(2)	
	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से एक विशेषज्ञ (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
वैज्ञानिक "घ"	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—अध्यक्ष
वैज्ञानिक "ग" एवं वैज्ञानिक "ख"	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सदस्य या बाह्य सदस्य (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	संयुक्त सचिव, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध) या उनका नाम निर्देशिती	सदस्य
	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य

आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी वैज्ञानिक द्वारा किये गये कार्य की वैज्ञानिक विषय-वस्तु को रिपोर्टिंग प्रपत्र [परिशिष्ट-III] के भाग-ग में प्रतिवेदित करेगी, जिसे दूसरे स्तर की स्क्रीनिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति (बाह्य) को उपलब्ध कराया जायेगा।

- (3) दूसरे स्तर की स्क्रीनिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति (बाह्य) उच्च ग्रेड के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता जानने हेतु उनके कार्य की वैज्ञानिक विषय-वस्तु के मूल्यांकन एवं भर्ती के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक समुचित मूल्यांकन बोर्ड गठित किया जायेगा। यह मूल्यांकन बोर्ड सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन विचार करने हेतु योग्यता को उचित सिद्ध करने के लिए, किये गये कार्यों की विशिष्ट विषय-वस्तु का एक पृष्ठ को सारांश तैयार करेगा। मूल्यांकन बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात् :-

पद	बोर्ड की बाह्य स्क्रीनिंग कमेटी का संयोजन	
वैज्ञानिक "च" एवं वैज्ञानिक "ड"	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या उनका नाम निर्देशिती जो चयन किए जाने वाले पद (पदों) के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर हो।	—अध्यक्ष
	बोर्ड का एक सदस्य (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य
	इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त तीन विशेषज्ञ (सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध)	—सदस्य
वैज्ञानिक "घ"	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—अध्यक्ष
वैज्ञानिक "ग" एवं वैज्ञानिक "ख"	बोर्ड का एक सदस्य (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	—सदस्य
	संयुक्त सचिव (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामलों से संबद्ध) या उनका नाम निर्देशिती	सदस्य
	प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त तीन विशेषज्ञ (अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य

#### टिप्पणी :

1. पहले स्तर की स्क्रीनिंग के लिए बोर्ड की आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य तथा दूसरे स्तर की स्क्रीनिंग के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मूल्यांकन समिति, जिस स्तर के अधिकारियों के चयन तथा प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनसे कम से कम एक स्तर ऊपर होगा।



- II. स्क्रूनिंग कमेटी/मूल्यांकन बोर्ड आयोजित साक्षात्कार, पूर्व कार्य-निष्पादन तथा वार्षिक कार्य रिपोर्ट (परिशिष्ट-III) के मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
- III. अध्यक्ष से भिन्न कमेटी के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में कमेटी की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।
- IV. कमेटी की सिफारिशें, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होंगी।
3. विनियम 9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

“सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन प्रोन्नति के लिए मापदण्ड :-”

- (क) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के अतिरिक्त किये गये कार्य वैज्ञानिक स्वरूप पृथक करने के लिए अधिकारी द्वारा एक वार्षिक कार्य रिपोर्ट प्रपत्र (परिशिष्ट-III) भरा जायेगा तथा रिपोर्टिंग अधिकारी उस पर रिपोर्ट करेगा। सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन प्रोन्नति हेतु विचार के समय आन्तरिक पीयर मूल्यांकन भाग-‘ग’ में होगा।

“वार्षिक कार्य रिपोर्ट” पर नया प्रपत्र, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट रिकार्ड करने की नियमित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा। मूल्यांकन एवं स्क्रूनिंग के लिए विचाराधीन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र भरा जायेगा।

- (ख) सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के लिए योजना के अनुसार पात्र सभी वैज्ञानिक तथा जो वैज्ञानिक ‘ग’ के लिए ‘अच्छा’ तथा वैज्ञानिक ‘घ’ तथा उससे ऊपर के लिए ‘बहुत अच्छा’ का बैचमार्क पूर्ण करते हों, उनके संबंध में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन उन्नयन पर विचार किया जायेगा। असाधारण रूप से योग्य अभ्यर्थियों जिनके पास सभी उत्तम ग्रेडिंग हों, को पदावास अवधि में छूट दी जा सकेगी। यह छूट किसी एक समय पर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो सम्पूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम दो बार के लिए सीमित होगी। तथापि अगला ग्रेड प्रदान करने के लिए सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन मात्र तीन बार किया जाएगा और इसके उपरान्त वैज्ञानिक इस योजना के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अधीन होगा। ऐसा वैज्ञानिक, जिसे संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अधीन कोई ग्रेड प्रदान किया गया हो, उसके संदर्भ में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली की पात्रता और अन्य प्रावधानों के अनुसार सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन अगला ग्रेड प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

- (ग) ऐसे वैज्ञानिकों/तकनीकी विशेषज्ञों के संबंध में सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन उन्नयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा जो प्रबंधन/प्रशासनिक कार्य कर रहे हों। उन्हें केवल संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन का लाभ प्राप्त होगा।

4. निम्नलिखित को विद्यमान विनियम 9 क, के रूप में अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“वैज्ञानिकों की उन्नति के लिए एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना को सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के अधीन सम्मिलित वैज्ञानिकों के संबंध में भी लागू किया जायेगा एवं यह संभावित है कि इसके अन्तर्गत मूल्यांकन की कसौटी सुनम्य अनुपूरक के अधीन अपेक्षित मूल्यांकन के अनुरूप ही सख्त होगी।”

5. विनियम 10 का सन्वियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :

“अनुसंधान एवं विकास में क्षेत्र अनुभव और/या ऐसी वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव, वैज्ञानिकों की उच्च ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए अनिवार्य है। वैज्ञानिक “च” में प्रोन्नति के लिए कम से कम 2 वर्ष का क्षेत्र अनुभव अनिवार्य होगा।”

6. निम्नलिखित को ‘परिशिष्ट-II’ के नोट 6 के नीचे ‘परिशिष्ट-III’ के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

‘परिशिष्ट-III’

[ कृपया विनियम 9 देखें ]

वार्षिक कार्य रिपोर्ट

भाग-क

अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है उसके द्वारा स्व-मूल्यांकन

1. नाम :
2. पदनाम :

3. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यसंचालन का क्षेत्र :
4. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यसंचालन का संक्षिप्त विवरण :
5. कार्यसंचालन के मूल्यांकन एवं परिमाणन हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिणाम संसूचक (जैसा कि संबंधित अधिकारी के लिए उपयुक्त हो)
6. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यसंचालन के मुख्य परिणामों का विस्तृत विवरण
7. किये गये कार्य में नवीनता (लगभग 100 शब्दों में)
8. गत तीन वर्षों में किये गये कार्य का वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट किया गया विशेष प्रभाव (यदि कोई हो)
9. कार्यसंचालन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धतियों का उपयोग
10. कार्यसंचालन में नवीन एवं विकसित हो रहे वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित सुझाव (यदि कोई हो)
11. कार्य योजना/कार्यसंचालन में अधिकारी द्वारा यदि किसी नई प्रौद्योगिकी का प्रवर्तन किया गया हो
12. किये गए कार्य की किसी विशेष वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु के संबंध में कोई अन्य उपलब्धि
13. वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये कार्य में निहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु पर एक पृष्ठ का सारांश
14. चयनित संसूचकों के अनुसार परिमाणित वैज्ञानिक एवं तकनीकी निर्गत कार्य (परिशिष्ट के रूप में)

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

#### भाग-ख

#### रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मूल्यांकन

1. वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य रिपोर्ट की परिशुद्धता  
क. सामान्य रूप से परिशुद्ध  
ख. संशोधन की आवश्यकता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
2. किये गये कार्य की वैज्ञानिक गुणवत्ता  
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%
3. किये गये कार्य में प्रवर्तित कार्यों का संक्षिप्त सारांश
4. वैज्ञानिक कार्य रिपोर्ट का सामान्य मूल्यांकन (संक्षिप्त में)
5. अन्तिम वर्गीकरण  
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

#### भाग-ग

#### आंतरिक पीयर समूह समीक्षा रिपोर्ट

1. रिपोर्ट किये गये कार्य की वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयवस्तु का वर्गीकरण
2. अभिज्ञात विशिष्ट नवीन तत्व  
(क)  
(ख)  
(ग)
3. संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे पीयर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदित कार्यों का संगत मूल्यांकन  
उच्चतम 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%
4. पदावास अवधि के दौरान किये गये कार्य का मूल्यांकन

5. किये गये वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य में विनिर्दिष्ट मुख्य बातें
6. पदावास अवधि के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य रिपोर्ट की समग्र प्रेडिंग उच्चतम 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%, न्यूनतम 25%

पीयर समूह के सदस्यों के हस्ताक्षर

#### परिशिष्ट वार्षिक कार्य रिपोर्ट

1. विश्वविद्यालयों/संगोष्ठियों/उद्योगों के साथ बैठकों में दिए गये व्याख्यान
  - क. नामांकित
  - ख. आमंत्रित
2. पुस्तक लेखन एवं संपादन
3. अनुसंधान संबंधी प्रकाशन
4. जिन विषयों पर कार्य किया गया हो या अन्यथा के संबंध में नवोन्नत रिपोर्ट तैयार करना
5. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना
6. आंतरिक रिपोर्ट बनाना
7. विद्यमान योजनाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए नये वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों की पहचान
8. नए विज्ञान एवं तकनीक की पहचान और प्रोत्साहन तथा चल रही योजनाओं में शामिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी निर्विष्ट
9. परियोजनाओं के वैज्ञानिक संचालन हेतु तैयार डाटाबेस
10. पूरे देश में अनुसंधान और विकास के अवसरचना आधार को बढ़ाने के लिए की गई वैज्ञानिक और प्रमाण-आधारित पहल
11. प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए नये क्षेत्रों की पहचान और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई
12. विकसित एवं परिनिर्जित परियोजना प्रबोधन पैरामीटर
13. विज्ञान एवं तकनीक हेतु प्रौद्योगिकी कुशलता/मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना
14. विभिन्न समितियों में अन्तर-मंत्रालयी चर्चाओं के दौरान उपलब्ध कराया गया वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग
15. उन परियोजनाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान बंद करने हेतु वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकित किया गया
16. आरम्भ किये गये नेटवर्क कार्यक्रम (कृपया अपने योगदान की प्रमुख विशिष्टताओं एवं संख्या का उल्लेख करें)
  - क. प्रयोगशाला से प्रयोगशाला के बीच
  - ख. प्रयोगशाला और उद्योग के बीच
  - ग. द्विपक्षीय
  - घ. बहुपक्षीय
17. वर्ष के दौरान तैयार की गई नीतियां/बिल
18. प्राप्त अवार्ड/संस्थाओं/अकादमी की सदस्यता
19. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी.-14017/37/2008-स्था. (भ.नि.), द्वारा वैज्ञानिकों के लिए 01-01-2011 से प्रभावी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित सुनम्य अनुपूरक प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी किये हैं। इन निर्देशों को कार्यान्वयन की दृष्टि से 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' पदों संबंधी विनियम, 2009' को तदनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधित किया जा रहा है।

संत प्रसाद गौतम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/184/11/असा.]

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग III, खण्ड 4, में सं. बी-12015/33(34)/सम./2009, दिनांक 12 जनवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

39139711-2

## CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2011

**No.B-12015/33(34)/Co-Ord./2009.**—In exercise of the powers conferred by sub-section 3A of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Pollution Control Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called "The Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board (Amendment) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Regulation 8 relating to 'Recruitment, Review and Promotion' shall be substituted by the following, namely :—

**"Recruitment, Review and promotion :—**

- (1) There shall be two levels of assessment for Flexible Complementing Scheme (FCS). The first one would be at internal level for screening purpose and next level assessment should have majority of external members.
- (2) Board's Internal Screening Committee for level 1 screening (Internal):— There shall be constituted an appropriate Board's Internal Screening Committee for evaluation of annual work reports vis-a-vis the criteria for upgradation under the FCS, as follows, namely :—

Post Scientist F and Scientist E	Composition of Board's Internal Screening Committee Secretary, MoEF or his nominee who shall be at least two levels above the level of the post(s) for which selection is to be made	—Chairman
	Chairman, Central Pollution Control Board	— Member
	One expert from the Ministry of Environment and Forests ( to be nominated by the Secretary, MoEF)	—Member
Scientist D, Scientist C and Scientist B	Chairman, Central Pollution Control Board	—Chairman
	One member from Central Pollution Control Board or outside member ( to be nominated by the Chairman, CPCB)	— Member
	Joint Secretary (dealing with CPCB matters in the MoEF) or his nominee	—Member
	Member Secretary, CPCB	—Member

The Internal Screening Committee would report on the scientific content of work done by the Scientist in part C of the reporting format [Appendix-III] which would be made available to the Assessment Board of the CPCB for level 2 screening (External).

- (3) Assessment Board of the CPCB for level 2 screening (External): There shall be constituted an appropriate Assessment Board of the CPCB for recruitment and for the assessment of the scientific content of the work of scientists for their suitability for higher grade. The Assessment Board shall document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under FCS. The constitution of the Assessment Board shall be as follows, namely:—

Post	Composition of Board's External Screening Committee	
(1)	(2)	
Scientist F and Scientist E	Secretary, MoEF or his nominee who shall be at least two levels above the level of the post(s) for which selection is to be made	—Chairman
	One Board Member ( to be nominated by the Secretary, MoEF)	—Member
	Chairman, Central Pollution Control Board	—Member

Scientist D, Scientist C and Scientist B	Three experts possessing expertise in the field (to be nominated by the Secretary, MoEF)	—Members
	Joint Secretary, MoEF (dealing with CPCB matters)	—Member
	Chairman, Central Pollution Control Board	—Chairman
	One Board Member (to be nominated by the Chairman, Central Pollution Control Board)	—Member
	Joint Secretary (dealing with CPCB matters in the MoEF) or his nominee	—Member
	Three experts possessing expertise in the field (to be nominated by the Chairman, CPCB)	—Members
	Member Secretary, CPCB	—Member

**Note:**

- (i) The members of the Board's Internal Screening Committee for level-1 screening and Assessment Board of the CPCB for level 2 screening shall be at least one level above the level for which the persons are to be considered for selection and promotion.
- (ii) The Committee/Board shall make their recommendations on the basis of the interview held, the evaluation of the past performance of the candidates and the Annual Work Report (Appendix-III).
- (iii) The absence of a member of the Committee other than Chairman shall not invalidate the proceedings of the Committee.
- (iv) The recommendations of the Committee shall be effective from the date on which the appointing authority approves the recommendations.

3. Regulation 9 shall be substituted by the following, namely:—

**Criteria for considering promotions under Flexible Complementing Scheme:—**

- (a) An annual work report format to capture scientific content of work performed (Appendix-III) would be filled up by the officer along with the ACR and would get reported upon by the reporting officer. The internal peer assessment would be in part 'C' at the time of consideration under FCS.  
The new format on "annual work report" will not replace the regular system of recording ACR. The proposed format will be filled by the officer under consideration for the purpose of assessment and screening.
- (b) All scientists eligible as per the scheme for the FCS and meeting the benchmark of 'Good' for Scientist C and 'Very Good' for Scientist D and above shall be considered for up-gradation under FCS. Exceptionally meritorious candidates with all outstanding grading may be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career. However the assessment under FCS for next grade would only be three times and thereafter the scientist would be covered under modified ACP scheme according to provisions of that scheme. The scientist who has been granted any grade under MACP can be considered for next grade under FCS according to the eligibility and other provisions of FCS.
- (c) Scientists/Technical experts doing management/ administrative work shall not be considered for up gradation under FCS. They shall only be given benefit of up gradation under MACP."

4. The following shall be inserted in the existing Regulations as 'Regulation 9 A', namely:—

"The Modified ACP as approved for employees of the CPCB would also be applicable to scientists covered under Flexible Complementing Scheme to provide an alternate channel for development for scientists and is expected to maintain the rigors of assessment required for assessment under FCS."

5. Sub-Regulation (3) of Regulation 10 shall be substituted by the following, namely:—

"Field experience in research and development and/or experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of scientists to higher grades. Field experience of at least two years will be essential for promotion to Scientist F."

6. The following shall be added as 'Appendix-III' below Notes 6 of 'Appendix-II', namely:—

39125711-3

[See regulation 9]

**Annual Work Report**

**Part A**

**SELF ASSESSMENT BY THE OFFICER REPORTED UPON**

1. Name :
2. Designation :
3. Area of S& T Function
4. Brief Description of S& T work function :
5. S& T output indicators for assessment and measurement of work function (as appropriate to the officer)
6. Enumeration of major outputs from S& T Function
7. Innovation content of work done (about 100 words)
8. Major impact reported during the financial year (if any) for work done during previous three years.
9. Scientific and technological methodologies used in the work function
10. Suggestions (if any) for work functions based on new or emerging scientific principles
11. New technologies if any introduced by the officer in work plan/functions
12. Any other highlight of special S&T content in the work
13. One page summary of the scientific and technical elements in the work done during the financial year
14. Quantified S&T outputs as per the selected indicators (as annexed)

Signature of the officer reported upon

**Part-B**

**Assessment by the Reporting Authority**

1. Accuracy of the S&T work report
  - a. Generally accurate
  - b. Modifications needed (please specify)
2. Scientific merit of the work done  
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75% Bottom 25%
3. Short summary of the innovative content of the work done
4. General assessment of the scientific work report (in brief)
5. Final grading  
1-10%, 10-33%, 33-50%, 50-75% Bottom 25%

Signature of the Reporting Officer

**Part-C**

**INTERNAL PEER GROUP REVIEW REPORT**

1. Grading of the S& T content of work reported
2. Specific Innovation elements recognized
  - (a)
  - (b)
  - (c)
3. Relative Assessment of the work reported vis-a-vis Peers in the area  
Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75% Bottom 25%
4. Assessment of the work done during the residency period

5. Specific highlights of the S& T content of the work done
6. Overall grading of the S&T work report for the residency period  
Top 10%, 10-33%, 33-50%, 50-75%  
Bottom 25%

Signature of the Members of the Peer Group

**Annexure (to Annual Work Report)**

1. Lectures delivered in universities/seminars/industry meets
  - a. Enrolled
  - b. Invited
2. Books edited or written
3. Research publications
4. State-of-the Art Reports prepared on the subject handled or otherwise
5. Annual reports prepared
6. Internal reports generated
7. New S & T areas/gaps identified for enlarging the scope of the existing schemes
8. New S & T identified and nurtured and S & T inputs added to ongoing schemes
9. Data bases prepared for scientific handling of the projects
10. Scientific and evidence-based initiatives taken to enlarge the infrastructure base of research and development across the country
11. Identification of New Areas for demonstration of technologies and follow-up
12. Project Monitoring Parameters evolved and deployed
13. Technology intelligence/assessment report prepared for S& T
14. S & T inputs provided to inter-Ministerial discussions in various committees
15. Number of projects scientifically evaluated for closure during the year
16. Networked Programmes initiated (please give numbers and salient features of your contribution)
  - a. Between lab to lab
  - b. Lab and industry
  - c. Bilateral
  - d. Multilateral
17. Policies/ Bills prepared during the year
18. Awards/ Membership of Institutions/Academies
19. Others (please specify)

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Central Government has issued directions *vide* Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. AB-14017/37/2008-Estt. (RR), dated the 10th September, 2010 for implementation of the Modified Flexible Complementing Scheme for Scientists based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission with effect from 1st January, 2011. With a view to implement these directions, "The Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009", are accordingly being amended with effect from the date of publication in the Official Gazette.

SANT PRASAD GAUTAM, Chairman

[ADVT III/4/184/11/Exty.]

**Note :—**The principal rules were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* No. B-12015/33(34)/Co-Ord/2009, dated the 12th January, 2010.